

फर्द अहकाम  
न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

इण्डियन बैंक बनाम प्रणव मेहन्दीरत्ता

प्रकरण संख्या 386 / 2020 ( धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट )

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
21.01.2021	<p>प्रार्थी वित्तीय संस्था-बैंक अधिवक्ता ने ने सरफेशी अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाने का कथन करते हुये नोट प्रेस किया है। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के नोट प्रेस किये जाने से धारा 14 सरफेशी एक्ट के प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>तुलसी</i> जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर</p>	<p>Note Press 22-1-21 संलग्न फोटो प्रति प्राप्त</p>